राजस्थान सरकार
परिवहन अधिकारी

क्रमांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/96/5बी जयपुर, दिनांकः 31.3.2000

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उपधारा(1) के खण्ड(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी की गई इस विभाग की (समय समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/95/5, दिनांक 31.3.1997 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, मोटर यान नियमों के अधीन दिये गये या समझे गये व्यापार प्रमाण पत्र के प्राधिकार के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में मोटर यानों का कब्जा रखने वाले विनिर्माताओं/व्यवहारियों पर, इसके द्वारा 1.4.2000 से कर की दर निम्नलिखितानुसार विहित करती हैः–

–सारणी–

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की वार्षिक दर
1	2	3
1.	दो पहिया वाले मोटर यानों की दशा में	हर 100 यानों या उनके भाग के लिये 2000/–रु.
2.	तीन या चार पहिया वाले मोटर यानों की दशा में	हर 50 यानों यसा उनके भाग के लिये 4000/रु.

परन्तु किसी व्यवहारी द्वारा, केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 में विहित प्रारूप सं. 21 के साथ विक्रीत से अन्यथा अन्तरित या विक्रीत यानों के मामले में कर की दर ऊपर स्तम्भ सं. 3 में विहित दरों की ¼ (एक चौथाई) होगी।

स्पष्टीकरण :–

1) व्यवहारी का वही अर्थ होगा जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन परिभाषित किया गया है।
2) किसी व्यवहारी या विनिर्माता के कब्जे में रखे हुए यानों के अवधारण के लिये उनके कब्जे में संभावित रूप से होने वाले घोषित यानों, या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उनके द्वारा विक्रीत यानों, जो भी अधिक हो, की संख्या विचार में ली जायेगी।
3) कर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के प्रथम 7 दिन के भीतर–भीतर अग्रिम संदत्त किया जाना है। वित्तीय वर्ष जिसके लिये कर देय हो गया हो, में व्यवहारी या विनिर्माता द्वारा संभावित रूप से विक्रीत या बनाये गये या वित्तपोषित किये जाने वाले यानों का अवधारणा करने के लिये, उनके द्वारा घोषित संभावित रूप से विक्रीत किये जाने या बनाये जाने या वित्तपोषित किये जाने हेतु घोषित या उनके द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तव में विक्रीत/बनाये गये/वित्तपोषित किये गये यानों की संख्या, जो भी अधिक हो, विचार में ली जायेगी, और कर का समायोजन आगामी वित्त वर्ष के लिये कर अग्रिम संदाय के साथ–साथ आगामी वित्त वर्ष में होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव